

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-21/2016-
प्रेषक

153(आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 18-01-2017

प्रभु राम

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय :

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वर्ष 2016-17 में राज्य योजना अन्तर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं विभिन्न कृषि/उद्यान महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मियों के वेतनादि के भुगतान, स्थापना से संबंधित अन्य मद तथा कोर्डिनेटेड वेराइटल ट्रायल एवं 3 डी प्रिंटर के लिए 4509.90 लाख रुपये (पैंतालिस करोड़ नौ लाख नब्बे हजार रुपये) की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत राशि 721.5843 लाख रु. के अधीन पूर्व में वेतन मद में निकासी के लिए स्वीकृत 500 लाख रु. के अतिरिक्त वेतन मद में निकासी की स्वीकृति के लिए अवशेष राशि के अधीन 76.18 लाख (छिहत्तर लाख अठारह हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप ₹76,18,000 (छिहत्तर लाख अठारह हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-94 दिनांक-11.01.2017 द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वर्ष 2016-17 में राज्य योजना अन्तर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं विभिन्न कृषि/उद्यान महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मियों के वेतनादि के भुगतान, स्थापना से संबंधित अन्य मद तथा कोर्डिनेटेड वेराइटल ट्रायल एवं 3 डी प्रिंटर के लिए 4509.90 लाख रुपये (पैंतालिस करोड़ नौ लाख नब्बे हजार रुपये) की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत राशि 721.5843 लाख रु. के अधीन पूर्व में वेतन मद में निकासी के लिए स्वीकृत 500 लाख रु. के अतिरिक्त वेतन मद में निकासी की स्वीकृति के लिए अवशेष राशि के अधीन 76.18 लाख (छिहत्तर लाख अठारह हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। इस स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु विषयशीर्ष-31 04-सहायक अनुदान वेतन मद में ₹76,18,000 (छिहत्तर लाख अठारह हजार रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

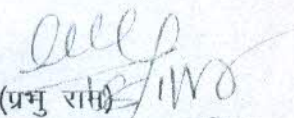
2. उपरोक्त ₹76,18,000 (छिहत्तर लाख अठारह हजार रुपये) मात्र की राशि का व्यय बजट शीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-उप मुख्यशीर्ष-01-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग सं०-01-उपशीर्ष-0103-बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को, विपत्र कोड-P2415017890103, के अंतर्गत विषयशीर्ष-31 04-सहायक अनुदान वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 में द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त एवं बजट में उपबंधित राशि में से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-4572 वि० (2) दिनांक-03.06.2016 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,


(प्रभु राम)

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

159 (आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 18-01-2017

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

159 (आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 18-01-2017

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/ नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रशासी-सह-लेखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/वित्त विभाग, (बजट-शाखा) बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-04 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक, (शष्प), सूचना बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।
कृषि विभाग, बिहार, पटना।